हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तहसीलदार गंगापुर —— विजय आँचल बगेरा	

27.3.26

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/अपीलार्थी/रिस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है~~/अन्य कार्यों में ~~व्यस्त है~~/~~का स्थानान्तरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6.5.26 को पेश हो।

रीडर

06.5.26

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/अपीलार्थी/रिस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है~~/अन्य कार्यों में ~~व्यस्त है~~/~~का स्थानान्तरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21.5.26 को पेश हो।

रीडर

21.5.26 वकील प्रतिवादी व LR उप० है। वकील प्रतिवादी ने अवगत कराया कि वाद ग्रस्त भूमि को श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा आ०दि० 18/7/2024 द्वारा लीज भूमि से कृषि भूमि में कन्वर्ट किया गया है एवं इसके पश्चात खातेदार द्वारा भूमि का नगर परिषद द्वारा धारा 90A के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ आ०दि० 18/10/24 द्वारा रूपान्तरण भी कराया जा चुका है। वकील प्रतिवादी ने इसी आधार पर पत्रावली में कार्यवाही डाप करने का निवेदन किया। साथ ही आ०दि० 18/7/24 का पत्रावली जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी एवं आ०दि० 18/10/24 नगर परिषद द्वारा की रोजनामचा समावेशी संख्या 2070-73 खाता सं. 149 भी प्रस्तुत किए हैं।

प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद ग्रस्त भूमि वर्तमान में गैर मु० आबादी के रूप में नगर परिषद के नाम दर्ज है। अतः LR द्वारा प्रस्तुत डाटा 177 [illegible] कोई कार्यवाही जारी रखने का औचित्य नहीं है। अतः धारा 177 RAC के कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली केवल सुमारी व रोजनामचा के रूप में एवं वाद ग्रस्त भूमि दर्ज रहे।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

21/4/26
TDR
ए.ए.सी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:02 IST
Reason: SelfAttested